

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 552/167/2021/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 18/03/2021

प्रति,

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल


विषय :- मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे/ संविलियत अधिकारी/कर्मचारियों को पांचवा एवं छटवां वेतनमान के वेतन निर्धारण अनुमोदन करने बाबत।

संदर्भ :- वित्त विभाग का पत्र क. 303/2893/2019/ नियम/चार दि. 13-2-2020 तथा परिपत्र क्रमांक एफ-1527/2020/ नियम/चार दिनांक 4-12-2020

संदर्भित विषयान्तर्गत राज्य तिलहन संघ से राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति/ संविलियन पर पदस्थ कर्मचारियों का वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

1. शासकीय विभागों हेतु - संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा
2. स्थानीय निकाय या अन्य - स्थानीय निधि संपरीक्षा

उक्तानुसार वेतन निर्धारण पश्चात ही किसी प्रकार का भुगतान किया जाये।


(विवेक कुमार धारू)


अवर सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 18/3/2021

पृष्ठा.क्रमांक 553/167/2021/नियम/चार

1. आयुक्त कोष एवं लेखा, संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 2. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म0प्र0 भोपाल।
 3. सचिव, म.प्र.शासन, वाणिज्यिक विभाग की ओर सूचनार्थ।
 4. वित्तीय सलाहकार, (संचालक, म0प्र0 वित्त सेवा संवर्ग)।
 5. समस्त संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।


18/03/2021
अवर सचिव

म.प्र.शासन.वित्त विभाग